

महोदय जी,

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

निवेदन है कि ग्राम - बोरस जमा.संख्या 272-2075
 खता सं. 160 में रदन - बू.चि. सै. ग्रा. बैंक शाखा बोरस दर्ज
 रेकार्ड है। जहाँकि शाखा प्रबंधक व. राज. सै. ग्रा. बैंक शाखा
 बोरस के अनुसार उक्त बैंक का नाम परिवर्तित होकर व. राज.
 सै. ग्रा. बैंक शाखा बोरस के ही गथा है। अतः रदन - बू.चि. सै.
 ग्रा. बैंक शाखा बोरस के बजाय रदन - व. राज. सै. ग्रा. बैंक
 शाखा - बोरस लिखा जाना उचित है।

[Signature] 16.05.18 *[Signature]*

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी दफ्तर/ILR बोरस अनुसार जमाबन्दी खाते में दर्ज
 बू. चि. सै. ग्रा. बैंक शाखा बोरस का नाम शाखा प्रबंधक
 बोरस अनुसार बड़ीदा राजस्थान सैन्य शाखीय बैंक शाखा
 बोरस लिखा जाना उचित है।

तहसीलदार (भू. अ.)
 शिवतारा

प्रा. चक्र 177/18
 16/5/18

आदेश

दृष्टव शत्रु तहसीलदार शिवतारा के आधार पर
 ग्राम बोरस की जमाबन्दी संवत् 2072-75 के खाता सं.
 160 में बू.चि. सै. ग्रा. बैंक शाखा बोरस के बजाय व. राज.
 सै. ग्रा. बैंक शाखा बोरस दर्ज लिखे जाने के आदेश दिए जाते
 हैं।

[Signature]